उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-216/2026/768 के-2/22-3-2025-17(338)/2020

लखनऊ: दिनांक: 25 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मन्नी (बन्दी संख्या-20654) पुत्र श्री नत्थी, निवासी-ग्राम महराना, थाना-बरसाना, जनपद-मथुरा, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-**359/1991** के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 324/149, 201/149, 147 व 3(3)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष सं0-02, मथुरा के आदेश दिनांक **16**.11.2011 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया, धारा-3(3)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किये जाने एवं सभी सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश के कारण 03 वर्ष के कारावास की मूल सजा बंदी द्वारा काट ली गई है तथा भा0द0वि0 की धारा-323/149 में 01 वर्ष, 324/149 में 03 वर्ष, 201/149 में 07 वर्ष व 147 में 02 वर्ष की सजा काट ली गयी है। बंदी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.05.2016 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। द्वारा दिनांक 08.05.2025 तक भोगी गयी 10 वर्ष, 03 माह, 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष, 09 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा, बंदी की आयु लगभग 86 वर्ष, 09 माह व जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in